न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीर प्रसाद नायक RAS

प्रकरण संख्या 65 / 2019

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

सीता w/o हेमा चमार कि रघुराजपुरा काई

– प्रार्थी / प्रार्थीगण

बनाम

देबी s/o सुरजमल बैरवा धोया कि रघुराजपुरा काई

– विपक्षी / विपक्षीगण

उपस्थित :– श्री त्रिलोकचन्द पटवा अभिभाषक प्रार्थी

दिनांक 8-7-19

निर्णय

प्रार्थी / प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी / विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है :– प्रार्थी / प्रार्थीगण के ग्राम दौलतपुरा तहसील शाहपुरा / ———— जिला भीलवाड़ा मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 152/1874 रकबा 0.05, 154/1873 रकबा 0.06 163 रकबा 0.17, 171 रकबा 0.14 कुल किता 4 रकबा 0.42 हैक्टयर का प्रार्थी / प्रार्थीगण खातेदार / संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी / विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी / प्रार्थीगण एवं विपक्षी / विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी / विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी / विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी / प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम दौलतपुरा संवत 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी / प्रार्थीगण खातेदार / संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थी / प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर मौजा दौलतपुरा मे स्थित प्रार्थी / प्रार्थीगण की उपरोक्त (आ० नं० 152/1874 रकबा 0.05 है० कु० रास्ता को छोड़कर) खातेदारी / संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 3 रकबा 0.37 हैक्टयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी मे अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे मे हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी (ऑन सीमा मे) किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा / ———— को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 100/- रूपये कायम किये जाते है जो प्रार्थी / प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा / ———— मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8-7-19 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
आर0ए0एस0
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा))

प्रतिलिपिः–तहसीलदार, शाहपुरा / ———— पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)